अपील / 08 / 2021

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

धनेशचंद पुत्र श्री गुरुदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्रांम मुरवारा तहसील व जिला भरतपुर

....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध निर्णय दिनांक 11.1.2021 तहसीलदार भरतपुर प्रकरण संख्या 11 / 2020 उनवानी सरकार बनाम धनेशचंद

उपस्थितः–
1–श्री सोनीराम शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

आदेश **दिनांक 3.8.2023**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ आदेश निर्णय दिनांक 11–1–2021 तहसीलदार भरतपुर पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–1–2021 में तहसीलदार भरतपुर ने अपीलान्ट अतिक्रमी को आराजी खसरा नम्बर 323 / 1207 कुल रकबा 0.42 बाके गांम मुरवारा में से 0.42 से बेदखल किये जाने एवं पैनल्टी कायम किये जाने की आज्ञा पारित की गई है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण एवं तहत पत्रावली तलब की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विवादित खसरा नम्बर 323 / 1207 रकवा 0.42 है0 का साविक खसरा नम्र 680 था जो अपीलान्ट के बाबा श्री फलीराम खेवटदार एवं हिस्सेदार थे उनकी मृत्यू के बाद अपीलान्ट के पिता गुरुदत्त का कब्जा रहा पिता गुरुदत्त की मृत्यू के बाद से अपीलान्ट का कब्जा चला आरहा है। योग्य अभिभाषक ने बताया कि विवादित आराजी को लेकर राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण चल रहा है। राजस्व मण्डल अजमेर से स्थगन आदेश भी अपीलान्ट के पक्ष में जारी

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

है अपीलान्ट द्वारा समस्त कागजात तहत न्यायालय में पेश किये गये थें परन्तु तहसीलदार भरतपुर ने उन पर ध्यान नहीं दिया और कानून के खिलाफ आदेश पारित कर दिया है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि विवादित आराजी अपीलान्ट के हक में काबिल नियमन के है मगर तहत न्यायालय ने नियमों के विपरीत जाकर बेदखल करने के आदेश दिये गये हैं। अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.1.2021 का है जो बैकडेट में लिखा गया है दिनांक 23.2.2021 तक पीठासीन अधिकारी यही कहते रहे कि अभी निर्णय नहीं हुआ है। रीडर ने बताया कि निर्णय दिनांक 11.1.2021 को हो चुका है, तब उसी दिन 24.2.2021 को नकल वगे. लेकर अपील बिना किसी देरी के पेश की गई है। देरी को क्षमा करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने राजकीय भूमि पर गेहू बोकर अतिक्रमण किया है। तहत न्यायालय ने जिसके लिये नियमों के तहत विधिवत कार्यवाही करते हुये राजकीय भूमि से बेदखल करने एवं लगान की पचास गुना पैनल्टी कायम किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपील म्याद बाहर पेश की गई है। तहसीलदार ने विधिवत निर्णय पारित किया है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2021 का अवलोकन किया गया।
प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया ।
आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में प्रतिपादित किया है कि :-

> Limitation Act, 1963, S.5 - Dismissal of appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case - Legality of-Held, now it msut be taken as well settled Principal of law that before rejecting applications u/s 5, and dismissing appeals as time-barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeal and unless appeals are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits. (Para 19)

आर.आर.डी.(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :-
" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उपर्युक्त नजीर के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 को स्वीकार किया जाकर अपील की देरी को माफ करते हुये प्रकरण की मैरिट पर विचार किया गया। योग्य अभिभाषक का यह कहना कि विवादित आराजी को लेकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण विचाराधीन है तथा वहॉ से स्थगन जारी किया हुआ है, योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने मौखिक कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नही किया जिससे उनके मौखिक कथनों की पुष्टी होती हो। तहत न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी ने विवादित आराजी खासरा नम्बर 323 / 1207 कुल रकबा 0.42 बाके ग्रांम मुरवारा में से 0.42 है0 पर गेंहू की फसल बोकर अतिक्रमण करने के खिलाफ तहसीलदार को रिपोर्ट की गई है। तहसीलदार भरतपुर ने विधिवत कार्यवाही करते हुये अतिक्रमी अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया है, नोटिस को अपीलान्ट ने स्वयं प्राप्त किया है जो शामिल तहत पत्रावली में शामिल है। अपीलान्ट बाबजूद सूचना तहत न्यायालय में नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हुआ है। तहत न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश

..........3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

पारित किया गया है, जिसमें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत तहसीलदार भरतपुर को वापिस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.8.2023 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)